

छत्तीसगढ़ शासन  
 स्कूल शिक्षा विभाग  
 मंत्रालय  
 महानदी भवन—नया रायपुर  
 //आदेश//

रायपुर, दिनांक 21/01/2015

क्रमांक एफ 6-3/2013/20-तीन :: राज्य शासन एतद द्वारा फीस विनियामक समिति की अनुशंसा अनुसार छत्तीसगढ़ निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु निम्नानुसार अंतिम फीस का निर्धारण करता है। यह फीस छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों के छात्रों के लिए एक समान लागू रहेगी :—

**2013-2014    2014-15    एवं 2015-16 के लिए बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु निर्धारण शुल्क**

स०क्र०	महाविद्यालय का नाम	निर्धारित शुल्क
1.	श्री रावतपुरा सरकार, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नया रायपुर	29,000/-
2.	RITEE कॉलेज ऑफ एजुकेशन, डूमरतराई, रायपुर	29,000/-

**2014-15    2015-16    एवं 2016-17 के लिए बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु निर्धारण शुल्क**

1.	चैतन्य कॉलेज, शाशा रोड, पामगढ़	28,500/-
2.	राधाकृष्णा प्लॉट नं.88624-डी, केरा रोड, रक्षाभाटा, नवागढ़	28,500/-
3.	शिव शक्ति इंस्टीट्यूट खोरसी, (खरोद)	28,500/-
4.	रायगढ़ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कोटरापाली	29,000/-
5.	एरीसेन्ट कॉलेज ऑफ बी0एड0 विलेज पटेल पाली, जिला रायगढ़	30,200/-

6.	केशरी शिक्षा समिति, विलेज खोकरा, जिला जांजगीर चांपा	30,200/-
7.	श्याम शिक्षा महाविद्यालय विलेज रिषभ तीर्थ, जिला जांजगीर-चांपा	30,200/-
8.	ग्यान रोशनी लोक कल्याण संस्था, विलेज खोकरा, जिला जांजगीर-चांपा	30,200/-
9.	GTB कॉलेज ऑफ एजुकेशन, विलेज फरहदा, जिला बिलासपुर	30,200/-
10	आयुष शिक्षा महाविद्यालय, विलेज मरवाही, जिला बिलासपुर	30,200/-
11	JES कॉलेज, विलेज फरहन्दा, जिला बिलासपुर	30,200/-
12	प्रतिभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, विलेज बालसी, जिला महासमुन्द	30,200/-
13	विप्रा आर्ट्स, कामर्स एवं फिजिकल एजुकेशन कॉलेज रायपुर	30,200/-

- 1/ रुपये 1500/- प्रति छात्र एकमुश्त प्रवेश के समय काशन मनी के रूप में प्रावधानित राशि ले सकती है, जो वापिसी योग्य है।
- 2/ समिति द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस लेना अथवा समिति द्वारा निर्धारित मद से अन्य मद में फीस लेना केपिटेशन फीस कहलायेगी एवं दोषी संस्था के उपर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 3/ यह फीस सत्र 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-2017 के प्रवेशित छात्रों के लिए है एवं यही फीस पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिए लागू रहेगी।
- 4/ सत्र 2013-14 में प्रवेशित छात्रों से यदि किसी संस्था ने निर्धारित फीस से अधिक फीस ले ली हो तो उसे छात्र को वापिस किया जाये। रिफण्ड धनादेश बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही किया जाए।
- 5/ संस्था द्वारा ट्रान्सपोर्ट शुल्क, छात्रावास शुल्क, एवं मेस शुल्क "न लाभ न हानि" (**NO PROFIT NO LOSS**) के आधार पर केवल उपयोगकर्ता से लिया जाना है।

- 6/ विश्वविद्यालय शुल्क एवं काउंसिलिंग शुल्क क्रमशः विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा जो निर्धारित किया गया है वही लिया जाना है।
- 7/ निर्धारित की गई फीस अधिकतम है, कोई संस्था चाहे तो इससे कम फीस भी ले सकती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

*S. S. J.*  
20/1/15  
(एम.एन. राजूरकर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

*J. S. J.*  
रायपुर, दिनांक 21/01/2015

पृष्ठमांक एफ 6-3/2013/20-तीन

प्रतिलिपि:-

- (1) माननीय राज्य पाल के सचिव, राजभवन, सचिवालय, रायपुर।
  - (2) माननीय मुख्यमंत्री जी, के सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय, नया रायपुर।
  - (3) विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छोगो शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
  - (4) विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छोगो शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
  - (5) मुख्य सचिव के स्टाफ अफिसर, छोगो शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
  - (6) सचिव, छोगो शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
  - (7) सचिव, छोगो शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
  - (8) सचिव, छोगो शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
  - (9) संचालक, तकनीकी शिक्षा, संचालनालय, रायपुर।
  - (10) संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर। कृपया संबंधित रजिस्ट्रार एवं संबंधित महाविद्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजने एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
  - (11) संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
  - (12) जन संपर्क अधिकारी, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर।
  - (13) समस्त संबंधित रजिस्ट्रार, .....
  - (14) समस्त संबंधित शिक्षा महाविद्यालय, .....
  - (15) गार्ड फाईल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

*S. S. J.*  
20/1/15  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग